रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1564] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/वैशाख 4, 1940
No. 1564] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/ VAISAKHA 4, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस- II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

का.आ.1718(अ).—केंद्रीय सरकार मेट्रो रेल (संकर्मों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट महानगर क्षेत्र पर लागू होंगे, अर्थात्:–

सारणी

महानगर क्षेत्र का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)
आगरा	उत्तर प्रदेश
मेरठ	उत्तर प्रदेश

[फा.सं. के-14011/2/2018-एमआरटीएस-II]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

S.O. 1718 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government after consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby declare that the provisions of the said Act shall apply to the metropolitan areas as specified in the table below, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

TABLE

Name of metropolitan area	Name of State
(1)	(2)
Agra	Uttar Pradesh
Meerut	Uttar Pradesh

[F.No. K-14011/2/2018-MRTS-II]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.